

आरक्षण : कितना उचित, कितना अनुचित

उर्वशी गुप्ता
कक्षा - '10'

भारतीय समाज में जातिगत रूप से ऊँच-नीच के भेदभाव की शुरुआत प्राचीन काल से ही हो गई थी। अस्पृश्यता का भाव जब अधिक बढ़ गया तब लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित हुआ। इनके तीर्थ स्थानों के भ्रमण पर रोक लगाई गई। कुँओं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा से भी वंचित रखा जाता था। समय बदला और परिस्थितियाँ भी बदली।

स्वतंत्र भारत में इन्हें मताधिकार प्राप्त हुआ और ऐसे कानून बने जिनका फायदा इन अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों को हुआ। इनके लिए विशेष आरक्षण की योजनाएं बनाई गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उनके लिए नौकरियों में भी स्थान सुरक्षित रखे जाने लगे।

जब काँग्रेस को हराने के बाद देश की बागडोर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ में आई तो उन्होंने 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए तो पहले से ही आरक्षण की सुविधाएं थीं। मंडल कमीशन की सिफारिशों को सहमति देते हुए उन्होंने जो घोषणा की थी उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया।

जगह-जगह दंगे-फसाद, आत्मदाह जैसी दिल को दहला देने वाली अनेक घटनाओं ने देश को सुखियों में मिला दिया। कुछ लोगों ने इस परिस्थिति का बहुत फायदा उठाया। छात्रों को यह कहकर कि आरक्षण की वजह से अब उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, उनके मन में विद्रोह की भावना भड़काई।

स्थिति और भी अधिक भयावह हो गई। इस स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। लेकिन समय के साथ आरक्षण की यह माँग आज भी बरकरार है। पिछले दिनों गुज्जरो के द्वारा किए गये विद्रोह और प्रदर्शन ने राजस्थान की व्यवस्था को गड़बड़ा दिया। सरकार के द्वारा उनके साथ बातचीत और निकाले गये रास्ते ने देश के शेष नौजवानों के मन में भी क्षोभ भर दिया।

अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को मिलने वाला आरक्षण आज उचित दिशा में जा रहा है, लेकिन प्रश्न आज उन लोगों का है, जिन्हें किसी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं है। वे काबिल होने के बाद भी बेहतर नौकरी पाने से असफल हैं। आज हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे देश के सभी युवाओं को समान अधिकार प्राप्त हों।